राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 27019/2018

1. रोहित कुमार पुत्र श्री गणेशी लाल, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 26, आजाद नगर, देवडूंगरी के नीचे, हरिजन बस्ती, मदनगंज-किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान)
2. पूजा देवी पत्नी श्री रोहित कुमार, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 28, आजाद नगर, देवडूंगरी के नीचे, हरिजन बस्ती, मदनगंज-किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य-प्रमुख सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से
2. निदेशक, स्थानीय स्व निकाय, राजस्थान सरकार, रेजीडेंसी रोड, जयपुर (राजस्थान)
3. नगर पालिका जोबनेर, जिला जयपुर-अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (राजस्थान) के माध्यम से
4. नगर पालिका जोबनेर, जिला जयपुर-अपने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (राजस्थान) के माध्यम से
5. नगर पालिका जोबनेर-जिला जयपुर, संभाग अध्यक्ष (राजस्थान) के माध्यम से

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से	:	सुश्री सुदेश कसाना, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी(गण) की ओर से	:	सुश्री अर्चना, अधिवक्ता की ओर से श्री अनिल मेहता, एएजी।

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

13/01/2023

1. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्तागण द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:-

> "(i) एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करके प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्तागण की उम्मीदवारी को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के तहत मानने का निर्देश जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी के तहत अपना आवेदन-पत्र भरते हैं और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के अनुसार शुल्क जमा करते हैं और परिणामस्वरूप उन्हें नियुक्ति दी जाती है। न्याय के व्यापक हित में याचिकाकर्तागण को सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जाए।
>
> (ii) कोई अन्य आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित, न्यायसंगत और उचित समझे, याचिकाकर्तागण के पक्ष में भी पारित किया जाए;
>
> (iii) रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता के पक्ष में दी जाए"

2. संक्षेप में तथ्य, जैसा कि रिट याचिका में कहा गया है, यह है कि विभिन्न नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 1/2018 दिनांक 13.04.2018 जारी किया गया था।

3. याचिकाकर्तागण ने उक्त विज्ञापन के अनुसरण में जोबनेर नगर पालिका में आवेदन किया, जहां प्रत्यर्थी-विभाग द्वारा कुल 31 पद विज्ञापित किए गए थे।

4. याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि हालांकि वे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय उन्होंने सामान्य वर्ग के तहत आवेदन किया था।

5. याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि प्रत्यर्थीगण ने विज्ञापित के रूप में 31 पदों को भरने की प्रासंगिक प्रक्रिया अपनाई, और 13 पद सामान्य पुरुष श्रेणी के लिए आरक्षित थे और 4 पद सामान्य महिला श्रेणी के लिए आरक्षित थे।

6. याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि जब उनका नाम चयन सूची में शामिल नहीं किया गया, तो उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्यर्थीगण से जानकारी मांगी और प्रत्यर्थी-विभाग ने उन्हें जानकारी दी कि सामान्य श्रेणी के तहत केवल दो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे।

7. याचिकाकर्तागण ने रिट याचिका में दलील दी है कि चूंकि प्रत्यर्थीगण को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के केवल दो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और 17 पद सामान्य श्रेणी के

उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे और इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण ने लॉटरी निकालने में अवैधता की है और याचिकाकर्तागण को नियुक्ति देने से इनकार कर दिया है।

8. याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि अपेक्षित योग्यता और पात्रता पूरी करने के बावजूद उन्हें नियुक्ति से गलत तरीके से वंचित किया गया है.

9. विद्वान परामर्श-सुश्री.सुदेश कसाना ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:-

(i) लॉटरी निकालने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया दिनांक 29.05.2018 के परिपत्र के अनुसार उचित नहीं थी, जो प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी की गई थी क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की संख्या से कम थी।

(ii) विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उम्मीदवारों को श्रेणीवार आरक्षण प्रदान किया गया था और लॉटरी निकालने के उद्देश्य से उन्हें खुले कोटा में जोड़कर, विचार के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है और इस तरह, प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानून की नजर में दूषित हो गई है।

(iii) याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी में केवल दो उम्मीदवार थे, लॉटरी निकालने के लिए उन्हें अन्य आवेदकों के साथ रखकर उनकी उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जा सकता था।

(iv) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **स्वरूप उमर आचार्य बनाम राजस्थान राज्य, 2017 (3) डब्ल्यू.एल.एन. 362** मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय भरोसा और इस न्यायालय की **खंडपीठ द्वारा विशेष अपील रिट संख्या 1733/2018 (वीरेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य)** एवं अन्य संबंधित मामलों में सामान्य आदेश दिनांक 09.08.2019 के तहत पारित निर्णयों पर भरोसा किया है,

(v) **स्वरूप कुमार आचार्य बनाम राजस्थान राज्य (सुप्रा.)** के मामले में पारित निर्णय के आधार पर याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यदि किसी विशेष श्रेणी में कम संख्या में उम्मीदवार आवेदक हैं, तो इस न्यायालय द्वारा लॉटरी के ड्रा को अस्वीकार कर दिया गया है।

(vi) **वीरेंद्र कुमार और अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (सुप्रा.)** के मामले में खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय के आधार पर याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने कानून बनाया है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिन्हें आयु में छूट या किसी अन्य रियायत का लाभ मिला है, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार, जिन उम्मीदवारों ने आरक्षण का लाभ लिया है सामान्य सीटों पर भाग लेने का एक और अवसर नहीं दिया जा सकता था।

12. **इसके विपरीत**, प्रत्यर्थीगण के लिए एएजी, श्री अनिल मेहता की ओर से उपस्थित सुश्री अर्चना अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में प्रस्तुत तथ्य स्पष्ट रूप से खुलासा किया है कि याचिकाकर्ता हालांकि, अनुसूचित जाति श्रेणी के थे, उन्होंने सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन किया था और इस तरह, याचिकाकर्तागण का उन्हें सामान्य श्रेणी में मानने का दावा तथ्यों के संबंध में उनके द्वारा की गई प्रार्थना के विपरीत होगा।

13. मामले के गुणागुण के आधार पर प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी-विभाग ने पात्र व्यक्तियों के मामलों पर विचार करने के लिए निर्देश जारी किए हैं और अधिकारियों द्वारा लॉटरी निकालने की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है और यहां तक कि लॉटरी निकालने के क्रम पर भी प्रकाश डाला गया है। दिनांक 29.05.2018 के पत्र/आदेश में भी लॉटरी का उल्लेख किया गया था।

14. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियुक्ति प्राधिकारी को पहले अनुसूचित जाति के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता थी; अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और उसके बाद विशेष पिछड़ा वर्ग और अंत में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए लॉटरी निकाली जानी थी।

15. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक 29.05.2018 को जारी पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लॉटरी निकालने के बाद, ऐसी आरक्षित श्रेणी के सभी उम्मीदवारों को रखा जाना था। लॉटरी निकालने के प्रयोजन के लिए सामान्य पूल में और इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण ने अन्य पात्र आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों पर विचार करने में कोई अवैधता नहीं की है, जिन्होंने किसी रियायत का लाभ नहीं लिया है।

16. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यदि लॉटरी के ड्रा में, याचिकाकर्तागण को उनके चयन का अवसर दिया गया है और यदि लॉटरी के ड्रा में उन्हें सफल उम्मीदवारों में नहीं पाया गया है, तो इसमें प्रत्यर्थीगण की कोई गलती नहीं थी।

17. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता कार्यालय आदेश/पत्र दिनांक 9.05.2018 में उद्धृत प्रासंगिक खंड पर भरोसा करते हैं जो इस प्रकार है:-

> "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति. पिछडा वर्ग आवेदकों की लाटरी सर्वप्रथम निकाली जावें एवं लाटरी में चयनित अभ्याथियों को पृथक करते हुए सामान्य वर्ग की लाटरी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग के शेष रहे आवेदन पत्रों को सामान्य वर्ग की नोटरी में शामिल किया जावे।"

18. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

19. इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता जो पति और पत्नी हैं, उन्होंने सफाई कर्मचारी के पद के लिए आवेदन किया था, हालांकि, उन्होंने अनारक्षित श्रेणी में आवेदन किया है।

20. इस न्यायालय ने आगे पाया कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्तागण ने उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में विचार करने के लिए प्रार्थना की है क्योंकि उन्होंने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में फॉर्म भरा था।

21. इस न्यायालय ने पाया कि लॉटरी का ड्रा जो अंततः सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा किया गया था, उसमें आवश्यक रूप से याचिकाकर्ता शामिल थे और लॉटरी निकालते समय, यदि याचिकाकर्ता सफल उम्मीदवार नहीं पाए गए, तो प्रत्यर्थी-विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है।

22. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन कि यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों पर पहले ही विचार किया जा चुका है उनकी संबंधित श्रेणी में लॉटरी निकालने के बाद, उन्हें अनारक्षित श्रेणी के सामान्य पूल में डालकर कोई अन्य मौका नहीं दिया गया, यह न्यायालय याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की दलील को स्वीकार करने

से डर रहा है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे। लॉटरी निकालते समय पालन की जाने वाली प्रक्रिया और चरणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

23. यह न्यायालय पाता है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने यदि कोई रियायत या लाभ लिया है, तो आवश्यक रूप से ऐसे उम्मीदवारों को सामान्य/अनारक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और इस प्रकार, केवल उन उम्मीदवारों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने किसी भी रियायत का लाभ नहीं लिया है और वे अपनी-अपनी श्रेणी में सफल उम्मीदवारों में से नहीं थे, उन्हें लॉटरी निकालने के उद्देश्य से सामान्य पूल में डालने की अनुमति दी गई थी।

24. इस न्यायालय ने पाया कि अपनाई जा रही ऐसी प्रक्रिया को **वीरेंद्र कुमार और अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (सुप्रा.)** के मामले में खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय से भी मंजूरी मिल गई है। यह न्यायालय उक्त मामले में खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के पैरा 30 को उद्धृत करना उचित समझता है, जो इस प्रकार है:-

> "30. कुछ अपीलार्थीगण ने तर्क दिया था कि चूंकि पूरी भर्ती ड्रा पर आधारित है और इसमें कौशल का कोई तत्व शामिल नहीं है, इसलिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के नाम अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयोजित ड्रा में शामिल नहीं किए जाने चाहिए। क्योंकि उन्हें इस तरह के खुले कोटा के खिलाफ नहीं माना जा सकता है। इस अदालत की राय है कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियां किसी भी कोटा का हिस्सा नहीं हैं। हालांकि, "माइग्रेशन" का नियम आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के प्रदर्शन और तुलनीय परिणाम हासिल करने के संदर्भ में व्यक्त किया गया था अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए या उससे बेहतर, फिर भी, तथ्य यह है कि दोनों "श्रेणियाँ" उम्मीदवार हैं। आरक्षित श्रेणी उन वर्गों से संबंधित है जिनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, उन्हें एक अलग स्थिति में रखता है, इस हद तक कि वे आरक्षण और उनकी योग्यता, नियुक्ति के बेहतर अवसर का आश्वासन दिया। फिर भी, वे और साथ ही अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार समान व्यवहार के पात्र व्यक्तियों के विवरण को पूरा करते हैं। यह समान व्यवहार, आरक्षण के लाभ के बिना, प्रतियोगिता में या अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों के लिए अपनाए गए किसी अन्य तरीके से प्रदान किया जाता है। इसलिए, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के नाम को शेष, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयोजित ड्रा से बाहर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे रिक्तियां किसी

कोटा का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए, इस पहलू पर अपीलार्थीगण की दलीलें खारिज की जाती हैं।"

25. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की दलील है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया मनमानी और भेदभावपूर्ण है क्योंकि सामान्य श्रेणी के लिए दो आवेदक अर्थात एक पति और पत्नी थे और प्रत्यर्थीगण को लॉटरी निकालने और निर्भरता की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए थी। **स्वरूप कुमार आचार्य बनाम राजस्थान राज्य (सुप्रा.)** के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया गया है।

26. इस न्यायालय ने समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश को पढ़ने पर पाया कि समन्वय पीठ के समक्ष मुद्दा उन उम्मीदवारों को क्लब करने पर विचार करने के संबंध में नहीं था, जिन्हें पहले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में भी शामिल किया गया था और उनका चयन किया गया था। बाद में अनारक्षित श्रेणी में शामिल कर लिया गया।

उस मामले के तथ्यों से यह भी पता चला कि उसमें रिट याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी के थे और उन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था, मौजूदा मामले की तरह नहीं, जहां अनुसूचित जाति श्रेणी के बावजूद, याचिकाकर्तागण ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था, इस न्यायालय में यह पाया गया कि उक्त निर्णय याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के लिए बहुत कम सहायता है।

27. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने **वीरेंद्र कुमार और अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,** के मामले में खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है। इस न्यायालय ने पाया कि खंडपीठ के समक्ष मुद्दा रियायतें/छूट प्राप्त करने पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के प्रवासन के संबंध में था और ऐसे उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में प्रवासन के लिए पात्र नहीं माना गया था।

28. मामले के वर्तमान तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रत्यर्थीगण ने कोई लाभ या रियायत प्राप्त करने के कारण आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों पर विचार करने का कोई कदम नहीं उठाया है।

29. इस न्यायालय ने पाया कि प्रत्यर्थीगण ने भर्ती प्रक्रिया के संचालन में कोई त्रुटि नहीं की है।

30. तदनुसार, रिट याचिका में गुणागुण नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है।

(अशोक कुमार गौड़), न्यायमूर्ति

Ramesh Vaishnav /86

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।